न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 093/2008

1 बिल्लूसिंह पुत्र तारासिंह जाति मजहबीसिख निवासी चक 8 एच. बड़ा संगतपुरा हाल वार्ड नम्बर 6, 22ए रोड़ अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)

- 1.1 निर्मला पत्नी स्व. बिल्लूसिंह
- 1.2 सलेमराज पुत्र स्व. बिल्लूसिंह
- 1.3 फ्लोरेन्स पुत्र स्व. बिल्लूसिंह
- 1.4 विक्टोरिया पुत्री स्व. बिल्लूसिंह
- 1.5 जोनमेजर पुत्र स्व. बिल्लूसिंह
- 1.6 मरियम पुत्री स्व. बिल्लूसिंह
- 1.7 राजकिरण पुत्री स्व. बिल्लूसिंह

} जाति मजहबीसिख निवासी वार्ड नम्बर 6 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

– – **वादीगण**

–:: बनाम ::–

1 शेरसिंह पुत्र तारासिंह जाति मजहबीसिख निवासी चक 8 एच बडां संगतपुरा तहसील श्रीगंगानगर

2 गुरतेजसिंह पुत्र तारासिंह जाति मजहबीसिख निवासी चक 8 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर

3 ग्रेसकोर पुत्री तारासिंह जाति मजहबीसिख साकिन गन्दड तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर

4 स्टेट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर

– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री गुरप्रीतसिंह सिद्धु अधिवक्ता — वादीगण
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21.01.2019

वादीयान की और से वाद प्रस्तुत किया गया हैं सक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1–2 सगे भाई हैं प्रतिवादीया संख्या 3 बहन हैं। चक 9 एच बडा के खाता संख्या 29/21 मुरब्बा नम्बर 21 के 2.581 हैक्टर भूमि तथा चक 7 एच बडा के खाता संख्या 24/24 मुरब्बा नम्बर 26 की 2.530 हैक्टर भूमि मुश्तर्का खाता में है घरुतौर से बंटवारा करके चक 7 एच के खाता संख्या 24/24 (26) के किला नम्बर 21 में 0.10, 22, 23 में 0.10, 24/2में 0.10 कुल 2.10 बीघा जिसमें 2 बीघा नहरी व 10 बिस्वा बारानी चक चक 9 एच बडा के खाता संख्या 29/21 मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 कुतर 2.06 बीघा वादी के कब्जा काश्त में हैं। अतः वाद पत्र स्वीकार कर विभाजन में उक्त कब्जा काश्त की भूमि दिलाने के आदेश किये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 22.05.2013 को एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी हैं। दिनांक 13.05.2014 को वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रतिवादीगण के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी हैं जमाबन्दी में उसके हिस्सा के अनुसार उक्त भमि उसके कब्जा काश्त में है। अतः खाता विभाजन कर डिकी पारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

वादी के सयोग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जमाबँन्दी सम्बत 2062–65 चक 9 एच बड़ा के खाता संख्या 29/21 के मुरब्बा नम्बर 21 की 3.581 हैक्टर भूमि बिल्लूसिंह, शेरसिंह एंव गुरतेजसिंह पिसरान तारासिंह तथा गैसकोर पुत्री तारासिंह खातेदार एवं खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 26 की 2.500 हैक्टर बिल्लूसिंह शेरसिंह एंव गुरतेजसिंह पिसरान तारासिंह तथा गैसकोर पत्री तारासिंह खातेदार दर्ज हैं। इस तरह दोनों खातों में वादी बिल्लूसिंह का नाम हैं। वादी का उक्त दोनों खातों में 1/4 हिस्सा है। अतः वाद पत्र प्रारम्भिक रुप से स्वीकार करते हऐ दिनांक 30.05.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर वादी का जमाबन्दी में दर्ज हिस्सानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुऐ भूमि के प्रस्ताव मय नक्शा के तहसीलदार श्रीगंगानगर से मंगवाये जानें हेतु लिखा गया।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक भू.अ./20019 /123 दिनांक 15.01.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये

–:: आदेश ::–

तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस वादी के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहीर नहीं करनें पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत उभयपक्ष की खातेदारी भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादीगण निर्मला पत्नी स्व. बिल्लूसिंह, सलेमराज पुत्र स्व. बिल्लूसिंह, फ्लोरेन्स पुत्र स्व. बिल्लूसिंह, विक्टोरिया पुत्री स्व. बिल्लूसिंह, जोनमेजर पुत्र स्व. बिल्लूसिंह, मरियम पुत्री स्व. बिल्लूसिंह, राजकिरण पुत्री स्व. बिल्लूसिंह जाति मजहबीसिख निवासी वार्ड नम्बर 6 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर की बहिस्सा बराबर हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7 एच बड़ा	26	26	21/.127, 22/.253, 23/.253	0.633 हैक्टर
9 एच बड़ा	30/29	21	1/.114, 10/.119 नहरी व 0.013 खाला, 11/.133, 20/.133, 21/.133	0.645 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किंये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 21.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर